Schedule XLII-High Court (J) 19[old (M)164]

अनुमन्डल न्यायालय–असैनिक न्यायाधीश (वरीय कोटि) बनमनखी, पूर्णियाँ, बिहार

समक्ष– सतीश मणि त्रिपाठी (बिहार न्यायिक सेवा)

स्वत्व वाद सं.– 127 ⁄ 2004 सी.आई.एस.क्र.– 127 ⁄ 2004

ईश्वरचन्द यादव एवं अन्य बनाम अमरेन्द्र यादव एवं अन्य

Order date	Order with signature of the Court	Office action taken
13.01.2026	वादी एवं प्रतिवादी सं0 2ए, 2बी एवं प्रतिवादी सं0 3, 5, 6, 7 की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता की हाजरी है। यह वाद वादी की ओर से प्रस्तुत आवेदन दिनांक 10.09.2025 पर आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त आवेदन को संचालित कर वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्पित किया गया है कि यह स्वीकृत तथ्य है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र कुमार यादव की दादी मसोमात जिनसी देवी ने दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 दिनांक 18.04.1963 के द्वारा भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 को प्रेम एवं स्नेहवश दान किया था परंतु त्रुटिवश उक्त दानपत्र की जमीन को वाद पत्र की अनुसूची – ''ए'' में वर्णित वाद भूमि में दर्शाया गया है जबकि उक्त दान पत्र के द्वारा प्राप्त जमीन वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र कुमार यादव की Exclusive land है जिस कारण से निवेदन है कि दान पत्र सं0 7638 एवं 7639, दिनांक 18.04.1963 में वर्णित भूमि को पृथक अनुसूची – ''सी'' में दर्शाने की कृपा की जाये। वादी की ओर से दस्तावेज की सूची के साथ दिनांक 20.11.2025 को दस्तावेज की छायाप्रति प्रस्तुत किया गया है जिसकी प्रति प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 को प्राप्त है। उक्त आवेदन का प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0 3 की ओर से आपत्ति व्यक्त किया गया है कि दान–पत्र सं0 7638 एवं 7639 में वर्णित भूमि पर सभी पक्षकारों का बराबर–बराबर हिस्सा बनता है क्योंकि उक्त भूमि संयुक्त संपत्ति है। प्रतिवादी सं0 2ए एवं 2बी की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की दादी को उक्त दान पत्र निष्पादित करने का अधिकार नहीं था क्योंकि विभाजन न होने से मसोमात जिनसी देवी को दानपत्र वाली भूमि प्राप्त नहीं थी। इसके साथ ही प्रतिवादी सं0 2ए एवं 2बी की ओर से आपत्ति व्यक्त किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज द्वारा पूर्व में स्वत्व विभाजन वाद 67 ⁄ 1964 लाया गया था जिसमें उपरोक्त दानपत्र वाली भूमि को भी वाद भूमि के रूप में दर्शाया गया था जो उक्त वाद में पारित डिक्री के द्वारा वादी के पिता बिन्देश्वरी यादव एवं उनके भाई कमलेश्वरी यादव को संयुक्त रूप से प्रदान की गयी थी जिस कारण से दानपत्र में वर्णित भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की Exclusive property नहीं है जिस कारण से वादी का यह आवेदन खारिज किये जाने योग्य है। प्रतिवादी सं0 5, 6, 7 की ओर से प्रतिउत्तर प्रस्तुत कर समर्पित किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की दादी मसोमात जिनसी देवी ने सिलिंग से बचने के लिये दानपत्र सं0 7638 एवं 7639, दिनांक 18.04.1963 को निष्पादित किया था जो कि संयुक्त संपत्ति है न की वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की व्यक्तिगत संपत्ति है। यह इससे भी दर्शित होता है कि उक्त दोनो दानपत्र वाली जमीन को स्वत्व वाद सं0 67 ⁄ 1964 के अनुसूची – ''ए'' में दर्शाया गया था तथा उक्त वाद के द्वारा अनुसूची – ''ए'' की भूमि में दानपत्र वाली जमीन वादी एवं प्रतिवादी के पिता बिन्देश्वरी यादव एवं कमलेश्वरी यादव को प्राप्त हुआ। जिस कारण से दानपत्र वाली जमीन संयुक्त जमीन है। ऐसी दशा में वादी के द्वारा लाया गया यह आवेदन विधि के अंतर्गत पोषणीय न होने से खारिज किये जाने योग्य है। अन्य प्रतिवादीगण की ओर से कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है।	

<u>लगातार</u> <u>13.01.2026</u>	उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा यह वाद वाद पत्र के अनुसूची – ''ए'' में वर्णित वाद भूमि के विभाजन हेतु लाया गया है। वादी के द्वारा यह आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 की दादी जिनसी देवी के द्वारा उपरोक्त दो दानपत्र वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र कुमार यादव के पक्ष में निष्पादित कर भूमि प्रदान किया गया था जो त्रुटिवश इस वाद के वाद भूमि के रूप में दर्शाया गया है जबकि उपर्युक्त दो दानपत्र वाली जमीन वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र कुमार यादव की व्यक्तिगत जमीन है जिस कारण से उक्त दोनो दानपत्र वाली जमीन को वाद पत्र में पृथक रूप से अनुसूची –''ए'' से विलोपित कर अनुसूची – ''सी'' में दर्शाये जाने की कृपा की जाये। जिसपर उपरोक्त प्रतिवादीगण के द्वारा आपत्ति व्यक्त कर समर्पित किया गया है कि उक्त दानपत्र वाली जमीन संयुक्त संपत्ति है जिसमें सभी प्रतिवादीगण का हिस्सा है। वाद पत्र के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादी के द्वारा स्वत्व विभाजन वाद सं0 67/1964 में पारित डिक्री के आलोक में वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वज को प्राप्त भूमि के विभाजन हेतु यह वाद लाया गया है। वादी के द्वारा अपने वाद पत्र में ऐसा कोई भी अभिवचन नहीं किया गया है कि दानपत्र सं0 7638 एवं 7639, दिनांक 18.04.1963 की भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं0 5 अमरेन्द्र कुमार यादव की व्यक्तिगत भूमि है। वादी के द्वारा अपने अभिवचन के समर्थन में अपने न्यायालीय परीक्षण की कंडिका 39 में यह स्वीकृत किया है कि बंटवारा मुकदमा 67/1964 से प्राप्त जमीन में से अनुसूची – ''ए'' की जमीन पर वाद लाया है तथा दोनो दानपत्र वाली भूमि इस वाद में वाद भूमि है। यह वाद वर्तमान समय में बहस हेतु नियत था तथा यह संशोधन आवेदन वादी की ओर से बहस के स्तर पर प्रस्तुत किया गया है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि वादी के द्वारा प्रस्तुत यह संशोधन आवेदन स्वीकृत किये जाने योग्य नहीं है जिस कारण से इस संशोधन आवेदन को **अस्वीकृत** किया जाता है। वाद आगामी दिनांक 15.01.2026 वास्ते अग्रतर कारवाई। हस्ताक्षर ह0/– अ.सै.न्यायाधीश वरीय कोटि बनमनखी, पूर्णियाँ	